

कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा।

कार्यालय आदेश


सरकार के प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-232/पी.एस. सेल, दिनांक 01.06.2018, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-SATH/BCG-21/18-266, दिनांक 18.06.2018 में वर्णित प्रावधान के आलोक में उपायुक्त, गोड्डा द्वारा उपरोक्त आगुक्त, गोड्डा की देख-रेख में गठित कोषांग द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के सरकारी शिक्षक/शिक्षिकाओं का अधीक्षा (counselling) के आधार पर युक्तिकरण का कार्य सम्पन्न कराया गया। दिनांक 05.11.2018 को आयोजित जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं का (सूची संलग्न) उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में युक्तिकरण के पश्चात पदस्थापन किया जाता है।

सूची में अंकित सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 10.11.2018 तक नवपदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। नवपदस्थापित शिक्षकों की सूची जिला के अधिकारिक वेब-साईट www.godda.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

—
जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1562/गोड्डा, दिनांक 6.11.18

प्रतिलिपि : संबंधित शिक्षक/शिक्षिका/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी/जिला के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं कोषांगार पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। नियत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि तक सूची में अंकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को योगदान-विरमण कराना सुनिश्चित करें।


जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।